


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रहलाद बनाम रामलाल अपील संख्या:-जीसीएमएस नम्बर 2023/261	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
11.07.23	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र बाबत अपील वापस लिये जाने एवं तहसीलदार बस्सी के निर्णय दिनांक 11.07.2023 की छाया प्रति पेश कर कथन किया है कि प्रकरण में रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या 16/2023 में तहसीलदार बस्सी के द्वारा निर्णय दिनांक 13.06.2023 के आदेश को निरस्त कर दिया गया है तथा न्यायालय श्रीमान् के समक्ष उसी आदेश को चुनौती दी गई थी, अब अपील को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि अपीलाधीन आदेश निरस्त हो चुका है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील को विद्धो निरस्त फरमाया जावे।</p> <p>हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बस्सी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.06.2023 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है तथा तहसीलदार बस्सी के समक्ष रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या 16/2023 उनवान प्रहलाद बनाम रामलाल के निर्णय दिनांक 11.07.2023 द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 13.06.2023 को रिव्यू कर अपीलार्थी के पक्ष में नामान्तरकरण खोलने के आदेश दिये गये है जिससे तहसीलदार बस्सी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.06.2023 वर्तमान में अस्तित्व में नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र बाबत अपील वापस लिये जाने स्वीकार किया जाता है तथा हस्तगत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">   (अन्तरसिंह नेहरा)  संभागीय अधिवक्ता आयुक्त  जयपुर। </p>	